न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अजीतसिंह राजावत आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./23/2021/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
वगताराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी पनावास, उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर	1. निम्वाराम पुत्र चैनाराम 2. लाभूदेवी पत्नी निम्वाराम जाति जाट निवासी अमरसिंह की ढाणी हाल निवासी पनावास, उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 293(239)/2018 बअनवान निम्बाराम वगैरा बनाम वगताराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.03.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बालाराम गोदारा रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—18.07.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 931/591 रकबा 88.11 बीघा मौजा पनावास पटवार क्षेत्र उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर में आया हुआ है जिसमें वादीगण का 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा है। वादीगण का शांतिपूर्णक कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में हिस्सा कस्सी खुली हुई नहीं है तथा परन्तु भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है, इसलिये पक्षकार के मध्य वादग्रस्त भूमि हिस्से व कब्जा काश्त को लेकर तनाजा बना रहता है, वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करना चाहता है। इस आशय का वाद मातहत अदालत के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद की सुनवाई के दौरान अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार शिव को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार शिव द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलाधीन आराजी सड़क मार्ग पर स्थित है इसके बावजूद अपीलांटस को सड़क पर अपने हिस्से के अनुसार भूमि नहीं दी गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार शिव द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने बहस करते हुए बताया कि हस्तगत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है तो अपील स्वीकार करने में रेस्पोडेंटस को कोई आपति नहीं है। इस आशय का मजमून आदेशिका पर लिखकर हस्ताक्षकर किये।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.08.2019 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। वक्त बहस रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता ने अपील को स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड करने में सहमति जाहिर की है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 293(239)/2018 बअनवान निम्बाराम वगैरा बनाम वगताराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.03.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण मातहत अदालत सहायक कलक्टर शिव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.08.2024 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

18.07.24

(अजीतसिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर